

Ba 2(Rs. 9300-34800) with grade pay of Rs. 4 '9/- or equivalent in the parent cadre or Department; and	3. Under Secretary (Library) –Member
(b) Possessing educational qualifications and	
experience prescribed for direct recruits under	
Column7.	
(Period of deputation including period of	
deputation in another ex-care post held	
immediately preceding this appointment in the	
same or some other organization/Department of	
the Central Government shall ordinarily not to	
exceed three years. The maximum age limit for	
appointment by deputation(including Short Term	
Contract) shall be not exceeding fifty six years	
as on the closing date of receipt of applications)	

[F. No. A-1218/1/99-Estt/Lib] S. C. MONDAL, Under Secy.

अधिप्रमाणित

किरेन रीजीजू गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

सा.का.नि.55—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अभिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण वेतनमान.-पद संख्या उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचि के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. निरर्हताएं.- वह व्यक्ति,
 - (कं) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

पंरन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की भाक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।
- 3. व्यावृति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण. आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



अनुसूची

	-			.3%		
पद का नाम	। पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अग्निशमन शलाहकार	1 *(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड -4, 37400-67000 रूपये + ग्रेड वेतन 8700 रूपये	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लहाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन इंजीनियरी में
75 d 12	<u>.</u>	·				वरा सामाना। गठा है।



शोधे भर्व केए जा गाले व्यक्तियों के लिए वेहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं भोन्नत व्यक्तियों की दशा में आप् होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
्रांता (8) आगू नहीं शेता	(9) सीध भर्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	संयुक्त पद्धित द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नित (यि उप अग्निशमन सलाहकार का पद पोषक श्रेणी का पद है तो उसे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी)] जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त पद्धित द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नित (यदि उप अग्निशमन सलाहकार का पद पोषक श्रेणी का पद है तो उसे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी)]ः केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों / नगर निगमों / पिब्लक सेक्टर उपक्रमों में अग्निशमन दल के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड — 3, 15600-39100 रूपये + ग्रेड वेतन 7600 रूपये में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड — 3, 15600-39100 रूपये + ग्रेड वेतन 6600 रूपये में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) (जिनके पास स्तंभ (7) जैसे ही सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएँ हैं। टिप्पण 1: ऐसे विभागीय अधिकारी अर्थात ऐसे उप अग्निशमन अधिकारियों पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नित द्वारा भरी गई मानी जाएगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अर्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय के उसी या	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (i) महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड)—अध्यक्ष (ii) संविव (आपवा प्रबंधन) गृह मंत्रालय — सदस्य (iii) महानिरीक्षक (राष्ट्रीय आपवा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा) — सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
			किसी अन्य संगठन/विभाग में इस		



पहले धारित से ठीक पद पर प्रतिनियुक्ति अन्य कांडर बाह्य (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया अधिक वर्ष सं होगी। प्रतिनियुक्ति नियुक्ति (जिसके द्वारा अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित प्नरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा कं जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित साधारण का वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

AUTHENTICATED BY

KIREN RIJIJU

Minister of State for Home Affairs

Govt. of India North Block, New Delhi [फा. सं. I-12011/1/2009-ए.डी.(सी.डी.)] प्रशांत निकम, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th April, 2016

G.S.R.55—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Fire Adviser Recruitment Rules, 1990, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Fire Adviser in the Ministry of Home Affairs, namely:-

- Short title and commencement. -
 - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Fire Adviser Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. -

The number of post, its classification pay band and grade pay or pay scale attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.-

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

- 4. Disqualification. No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, have a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Po r to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be der, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, rel., any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Saving .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(21)

SCHEDULE

			SC	HEDULE		
Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/ pay	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications for direct recruitment
		-	scale			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fire	1*(2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band 4, Rupees 37400- 67000 with grade pay of Rupees 8700	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman, and Nikobar Islands or Lakshdweep).	Essential: (i) Bachelors degree in Fire Engineering from a recognised University; (ii) Twelve years' experience in Fire Service in Government or local bodies or Public Sector undertaking, out of which five years' regular service in Pay Band 3 with grade pay of Rs. 6600. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.



(.	<u> </u>					Commission, for
	1	İ				reasons to be
	-1 -4 -		=		9 2 9 9	recorded in
		1			e je	writing, in the
		ĺ				case of
		1				candidates
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		belonging to the
		į				Scheduled Castes
						or Scheduled
						Tribes if at any
		ļ				stage of selection
						the Union Public
						Service.
						Commission is of
						the opinion that sufficient
						number of
						candidates from
						these
		- 1	F = 62-	received to		communities
				14 9/ 5	* ***	possessing the
			ļ			requisite
						experience are
						not likely to be
						available to fill
		-				up the vacancies
						reserved for
				al minute of the state of the s	^	them.
						100

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
Whether age	Period of	Method of recruit-	In case of recruitment by	If a	Circumstances
and	probation	ment : whether by	promotion/deputation/absorption,	Departmental	in which
qualifications		direct recruitment or	grades from which	Promotion	Union Public
prescribed		by promotion or by	promotion/deputation/absorption	Committee	Service
for direct		deputation/absorption	to be made.	exists, what is	Commission is
recruitment		and percentage of the	4	its	to be
will apply in		vacancies to be filled		composition?	consulted in
he case of		by various methods.		2	making
promotion					recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vot	One year	By composite	By composite method	Group 'A'	Consultation
applicable.	for direct	-method [Deputation-	[Deputation (including -short-	-Departmental	with Union
5.7	recruits.	(including short term	term contract)/_Promotion (in	Confirmation	Public Service
		contract) /Promotion	case the post in the feeder grade	Committee.	Commission
		(in case the post in	of Deputy Fire Adviser is held by		necessary on
		the feeder grade of	a direct recruitee)]:	(i) Director	each
		Deputy Fire Adviser	Officers of the Fire Brigades in	General, (Fire	occasion.
		is held by a direct	the Central/State	Service, Civil	
		recruitee)] failing	Governments/Municipal	Defence and	
		which by direct	Corporations/Public Sector	Home	
		recruitment.	Undertakings: -	Guards)	
			(a) (i) holding analogous posts on	—Chairman	
			regular basis		
			Or		



(ii) in	Pay b	and 3,	Rupees	15600-
39100	with	grade	pay of	Rupees
7600	with	five	years'	regular
service	e in th	e grad	e;	

or

(iii) in Pay band 3, Rupees 15600-39100 with grade pay of Rupees 6600 with ten years' regular service in the grade; and

(b) Possessing the qualifications for direct recruits as in column (7).

Note 1: Departmental officer namely, Deputy Fire Adviser with ten years' regular service in that grade shall also be considered along with outside candidates and if selected for appointment to the post, shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: Period of deputation including short term contract (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Excadre post held immediately preceding this appointment in the some other or organisation/department of the Government ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)

Note 3: For the purpose of appointment deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (The date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(ii) Joint Secretary (Disaster Management), MHA – Member

(iii) Inspector General, (National Disaster Response Force and Civil Defence) -Member

[F. No.I-12011/1/2009-Ad(CD)]